भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1073

जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने की रणनीति

1073. श्री वाई.एस.अविनाश रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की केवल चालीस प्रतिशत मांग ही घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूरी होती है, जबकि शेष मांग को आयात किया जाता है, तथा वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार ने भू-राजनीतिक व्यवधानों के कारण खरीद प्रभावित होने के फलस्वरूप पोषक तत्व आधारित राजसहायता दरों के अतिरिक्त डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का एकमुश्त विशेष राजसहायता पैकेज प्रदान किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा फॉस्फेट की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए कोई दीर्घकालिक रणनीतिक करार किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त करार संसदीय निरीक्षण/मूल्य समीक्षा तंत्र के अधीन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क): भारत एक सीमित संसाधन वाला देश होने के कारण, उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन देश की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। इस अंतर को विभिन्न देशों से आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान देश में डायअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की मांग, उपलब्धता, बिक्री और घरेलू उत्पादन के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

वर्ष 2024-25 के दौरान देश में डीएपी की मांग, उपलब्धता, बिक्री और घरेलू उत्पादन (एलएमटी में)			
आवश्यकता	**उपलब्धता**	**बिक्री**	**घरेलू उत्पादन**
111.92	105.14	96.29	37.69

2024-25 में, सरकार ने किसानों को किफायती कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'अन्य लागतों', जिनमें कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत शामिल है, को कवर करने के लिए ₹3500 प्रति मीट्रिक टन की दर पर दिनांक 01.04.2024 से डीएपी की वास्तविक पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) बिक्री पर एनबीएस दरों के अतिरिक्त डीएपी पर एक-बारगी विशेष पैकेज को मंजूरी दी है।

(ख) से (घ): सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, सरकार उर्वरकों के आयात के लिए भारतीय उर्वरक कंपनियों और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के बीच दीर्घकालिक करारों की सुविधा प्रदान करती है। इस संबंध में, भारत को लगभग 31 एलएमटी डीएपी की वार्षिक आपूर्ति के लिए भारतीय उर्वरक कंपनियों और सऊदी अरब की कंपनियों के बीच दीर्घकालिक करारों (एलटीए) को अंतिम रूप दिया गया है। इसी तरह, भारतीय उर्वरक कंपनियों ने इस वर्ष लगभग 26.50 एलएमटी डीएपी/एनपीके उर्वरकों के आयात के लिए रूसी आपूर्तिकर्ताओं के साथ करार किए हैं।
